प्रेसनोट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद दिनांक 03.11.2022

अवैध खनन करने के गैंगस्टर अभियुक्त आबिद की करीब 93.56 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति को थाना ठाकुरद्वारा व थाना डिलारी पुलिस ने किया कुर्क।

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आदेशानुसार खनन माफिया व अवैध खनन का कारोबार करने वाले अपराधियो द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित की गयी अवैध चल व अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण (कुर्क) हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना ठाकुरद्वारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-442/2022 धारा 147/341/352/332/504/353/384/395 भा0द0वि0 व 21(4) खाज एवं खनिज अधिनियम व धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त आबिद पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम रामूवाला गणेश थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद की लगभग 93.56 लाख रुपये की चल व अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद, उप जिला मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, तहसीलदार मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के निर्देशन तथा कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.11.2022 को थाना ठाकुरद्वारा व थाना डिलारी पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहासः-

आबिद पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम रामूवाला गणेश थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 442/2022 धारा 147/341/352/332/504/353/384/395 भादवि व 21(4) खाज एवमं खनिज अधिनियम व धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

कुर्क किये जाने वाली सम्पत्तिः-

1.ग्राम रामूवाला गणेश में खाता संख्या 147 क्षेत्रफल 162.575 वर्गमीटर जमीन /प्लाट कीमत करीब 14,63175 रुपये
2. उक्त आवासीय भूमि पर कवर्ड एरिया करीब 366.03 वर्गमीटर मकान बनाया गया है जिसकी कीमत करीब 58,24,600 रुपये।
3. 01 टाटा टिप्पर रजिस्टेशन संख्या UP21CN 8605 कीमत करीब 20,00000 रुपये
4. विभिन्न बैंक खातों(SBI व PNB) में जमा की गयी धनराशि करीब 68,822 रुपये को जप्त किया गया है।

नोट- अनुमानित कुर्क किये जाने वाली सम्पत्ति का अनुमानित कुल मूल्यः- त्रिनावे लाख छप्पन हजार पांच सौ सतानवे (93,56,597/-) रुपये।